मासूम पुत्र व पुत्री की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी मां गिरफ्तार

बीते रविवार को एक मां ने लोहे के औजार से अपने जिगर के टुकड़े बेटा व बेटी का कत्ल कर दिया था, वारदात के बाद पछतावा जता रही निर्दयी मां

माण्डलगढ़।16 जनवरी। माण्डलगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव में हत्या की आरोपी संजुदेवी तेली को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया हैं। आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ उसे जेल भेज दिया गया हैं। आरोपी महिला संजुदेवी ने 6 दिन पहले अपने ही घर मे दो मासूम पुत्र व पुत्री की लोहे के औजार से निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया था,जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी।

माण्डलगढ थानाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि हत्या की वारदात के बाद आरोपी महिला बदहवास हो गई थी, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरोपी महिला ने बताया कि वह केंसर जैसी बीमारी से ग्रसित होने की शंका से आहत थी, कि मेरी इस बीमारी से मेरी मौत हो जाएगी, और मेरे बच्चों का क्या होगा। बस इसी भ्रम में महिला ने अपने ही बेटा व बेटी की निर्मम हत्या कर दी, आरोपी महिला को अब बड़ा पछतावा हो रहा हैं। पुलिस ने हत्या की आरोपी महिला को घटना स्थल पर ले जाकर मौका मुआयना किया। हत्या के वक्त पहने कपड़े व अन्य सामठी को जब्त किया हैं। आरोपी महिला को माण्डलगढ़ न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया हैं । आरोपी महिला अपने पुत्र और पुत्री की हत्या पर अब बड़ा अफसोस जता रही हैं, रो रो कर खुद का बुरा हाल कर लिया हैं। निर्दयी महिला संजू देवी सोशल मीडिया पर केंसर जैसी बीमारी के उपचार ओर परिणाम के बारे सर्च करती थी, जिसे देख कर उसे अपनी मौत होने का अंदेशा सताने लगा, कि इस दुलभ बीमारी से मेरी मौत के बाद

माण्डलगढ़ के मानपुरा में मासूम बच्चों के हत्या के आरोप में मां संजुदेवी को गिरफ्तार किया।

मेरी दोनों सन्तान 10 साल की नेहा व 8 साल के भेरूलाल का क्या होगा। बस इसी भ्रम में आकर दोनों की हत्या कर दी । माण्डलगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव में बीते रविवार को दिल

- **वारदात के बाद बदहवास हुई महिला 5 दिन से जिला अस्पताल में भर्ती रही**

दहला देने वाली वारदात का मामला सामने आया था। एक 35 वर्षीय निर्दयी माँ संजुदेवी तेली ने दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर खुद ने गले मे फंदा लगा कर खुदकुशी करने की कोशिश की।इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद आरोपी महिला पुत्रवधु संजुदेवी के खिलाफ ससुर प्रभुलाल तेली ने माण्डलगढ़ थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। घटना की गम्भीरता को देखते हुए माण्डलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक बाबूलाल विश्नोई ओर एफएसएल टीम साक्षय जुटाने के लिए मौक्रे पर पहुंचे।ओर हत्या में प्रयुक्त औजार को जब्त किया गया। आरोपी महिला द्वारा इस वारदात को अंजाम देने के बाद मासूम बच्चों के खून में लथपथ शव देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आसपास पड़ोसियों में भी कोहराम मच गया था। मानपुरा में रविवार को हुई सनसनीखेज और हृदयविदारक घटना में एक माँ पर अपने ही दो मासूम बच्चों की टेंट लगाने में प्रयुक्त लोहे के सरिए ओर धारदार हथियार से हत्या करने का आरोप सामने आया । घटना से पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल अभी भी बरकरार है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतक बच्चों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया , वहीं घटना के बाद फाँसी का फंदा लगाने से अचेत हुई आरोपी महिला मृतक बच्चों की माँ को उपचार के लिए माण्डलगढ़ अस्पताल लाया गया था, जहाँ उसकी हालत गम्भीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया । प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला संजुदेवी के पेट मे गठान ओर मुंह मे छाले की बीमारी होने से मानसिक तनाव में थी।

जिससे उक्त घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है कि आरपी महिला की गिरफ्तारी और पूछताछ में दिए गए बयान के आधार ओर सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम व फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। पड़ोसियों के अनुसार परिवार सामान्य दिखता था, घटना के बाद क्षेत्र में अभी भी आक्रोश और शोक व्याप्त है।

झुंझुनूं में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर बवाल, दुकानदार सड़कों पर उतरे

झुंझुनूं, (निसं)।शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से शुक्रवार को नगर परिषद द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान ने अचानक तूल पकड़ लिया।

नगर परिषद की कार्रवाई से आक्रोशित दुकानदारों ने कड़ा विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि नगर परिषद ने बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के अचानक तोड़फोड़ की और उन्हें अपना सामान समेटने तक का मौका नहीं दिया। नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचल्या के नेतृत्व में परिषद की टीम ने शहर के प्रमुख मार्ग मंडावा मोड़ से एलआईसी ऑफिस रोड तक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान सड़क सीमा के भीतर किए गए स्थाई व अस्थाई अतिक्रमणों–जिनमें अवैध केबिन, टीन शेड, थड़ी–ड्रेले एवं पक्के निर्माण शामिल थे उनको जेसीबी की मदद से हटाया गया।

कार्रवाई के दौरान गरमाया माहौल : अचानक हुई कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने मौके पर विरोध शुरू कर दिया। नगर परिषद कर्मियों और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ खींचतान की स्थिति भी बन गई, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया।

- **बिना सूचना तोड़फाड़ का आरोप, नगर परिषद-व्यापारियों में तीखी नोकझोंक, पुलिस बुलानी पड़ी**

हालात बिगड़ते देख तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस की मौजूदगी में जारी रही कार्रवाई : मौके पर पहुंचे पुलिस जाप्ते ने स्थिति को संभाला और भीड़ को नियंत्रित किया। पुलिस संरक्षण में नगर परिषद की टीम ने सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी, जिससे यातायात मार्ग को आंशिक रूप से सुचारु किया गया। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि बिना सूचना की गई तोड़फोड़ से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। उनका कहना था कि यदि पूर्व में नोटिस दिया जाता तो वे स्वयं अतिक्रमण हटा लेते। नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचल्या ने बताया कि लंबे समय से सड़क पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं।

पात्र लाभार्थियों को दस्तावेज सौंपे

अलवर । जिला कलैक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आज नगर निगम परिसर में घुमन्तु समुदाय को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु सहायता शिविर का निरीक्षण कर पात्र लाभार्थियों को दस्तावेज सौंपे। जिला कलैक्टर ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिये कि घुमन्तु समुदाय विमुक्त, घुमन्तु एवं अद्र्धघुमन्तु के सभी पात्र व्यक्तियों को केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का मौके पर ही लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें। साथ ही मौके पर ही मतदाता पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आदि कार्य पूर्ण कर राहत प्रदान करें। उन्होंने निर्देश दिये कि 30 जनवरी तक आयोजित होने वाले शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करावे ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी के पक्ष को सही माना, रिजर्व लिस्ट के आधार पर नियुक्ति का अधिकार नहीं

अजमेर (कासं)। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की अपीलों पर गुरूवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल रिजर्व या वेटिंग लिस्ट में नाम होने मात्र से किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ एवं खंडपीठ के उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिसमें आयोग को नियमों में अंकित अवधि के व्यतीत हो जाने के बावजूद रिजर्व लिस्ट से उम्मीदवारों को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए थे।

क्या था मामला? - आयोग के संयुक्त विधि परामर्शी राकेश ओझा ने बताया कि यह प्रकरण कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती-2013 एवं 2019 और सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती- 2020 से संबंधित था। इसमें मुख्य सूची के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ठाहण न करने के कारण रिक्त रहे पदों पर आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। इस पर वेटिंग लिस्ट में शामिल यति जैन, आकृति सक्सेना और विवेक कुमार मीणा जैसे उम्मीदवारों की याचिका पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, जिसे आयोग ने माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दायर कर चुनौती दी थी, परंतु खंडपीठ ने एकलपीठ के निर्णय को यथावत रखते हुए आयोग की अपील को खारिज कर दिया था। अंततः आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी थी।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मुख्य बिंदु - नियमों की सर्वोच्चता: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत आरक्षित सूची की वैधता मुख्य सूची भेजे जाने की तिथि से केवल 6 माह के लिए होती है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद सूची निष्प्रभावी हो जाती है।

कानूनी अधिकार का अभाव - न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने व्यवस्था दी कि केवल आरक्षित सूची में नाम होने मात्र से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अपरिहार्य कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता।

आप ने बजाया चुनावी बिगुल

अजमेर। आम आदमी पार्टी अजमेर ने आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत समिति चुनावों में सशक्त भागीदारी दर्ज कराने के उद्देश्य से 'आप आपरे साथे' अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ शुक्रवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं ने अभियान की रूपरेखा और उद्देश्यों की विस्तार से जानकारी दी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की प्रदेश महासचिव कीर्ति पाठक ने बताया कि 'आप आपरे साथे' अभियान के तहत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता संगठित टीमों के रूप में अजमेर जिले की समस्त नगरीय इकाइयों के वार्डों और पंचायत समितियों तक पहुंचेंगे। इस दौरान आमजन से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं, अपेक्षाएं और राजनीतिक इच्छाओं को जाना जाएगा।

अजमेर ने वर्कशॉप सहित जीती 6 रेलवे शील्ड

अजमेर, (कासं)। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा उत्सव भवन, रेलवे अधिकारी क्लब, जगतपुरा, जयपुर में 70 वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री अमिताभ ने इस अवसर उत्तर पश्चिम रेलवे के विभिन्न मंडलों/यूनिटों को अलग-अलग कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शील्ड प्रदान की। इस अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले 55 अधिकारियों व कर्मचारियों को व्यक्तिगत पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर मण्डलों को विभिन्न कार्यक्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिये कुल 21 उत्कृष्टता शील्ड प्रदान की गई, जिसमें अजमेर मंडल को 05, जोधपुर मण्डल को 06, बीकानेर मंडल को 03 एवं जयपुर मंडल को 04 शील्ड प्रदान की गई। इसमें 1 शील्ड संयुक्त रूप से अजमेर केरिज वर्कशॉप व बीकानेर वर्कशॉप तथा 1 शील्ड जोधपुर वर्कशॉप को प्रदान की गई। इसके अलावा निर्माण संगठन-बीकानेर को 01 शील्ड प्रदान की गई।

अजमेर मण्डल ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए 5 शील्ड का विजेता बना है। इस शानदार प्रदर्शन के फलस्वरुप ओवरऑल रनर-अप शील्ड भी जीती है। अजमेर मंडल ने वाणिज्य विभाग की रेल मदद शील्ड व टिकट चेकिंग शील्ड, कार्मिक शील्ड राजभाषा शील्ड, सेफ्टी शील्ड जीती, जबकि बीकानेर वर्कशॉप के साथ अजमेर कैरिज वर्कशॉप ने बेस्ट वर्कशॉप शील्ड संयुक्त रूप से जीती। वाणिज्य विभाग की 3 शील्ड में से 2 शील्ड अजमेर मंडल ने जीती जिसे मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा के साथ वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री मिहिर देव ने महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे से ग्रहण की । यात्री शिकायत निवारण में शानदार प्रदर्शन करते हुए रेल मदद शील्ड और टिकट चेकिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टिकट चेकिंग शील्ड अजमेर मंडल ने प्राप्त की।

समारोह में रेलवे बोर्ड स्तर पर अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित अधिकारियों व कर्मचारियों को भी महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे श्री अमिताभ द्वारा सम्मानित किया गया।

सीकर के 8 युवाओं को रूस में नौकरी लगवाने के नाम पर 21 लाख 59 हजार रुपए की ठगी की

सीकर (निसं)। सीकर के 8 युवाओं को रूस में नौकरी लगवाने के नाम पर 21 लाख 59 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने चंडीगढ़ की फर्म सुरभि व प्रवीण छलिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पीड़ितों का आरोप है कि फर्म ने उनसे रुपए तो ले लिए, लेकिन जब वे बार-बार विदेश जाने के लिए कहने लगे तो आरोपियों ने पहले 5 लोगों को विदेश भेज दिया। हालांकि, उन्हें एक महीने बाद ही वापस भेज दिया गया। जब पीड़ितों ने अपने रुपए वापस मांगे तो आरोपियों ने टालमटोल करके रुपए देने से मना कर दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

21 लाख की ठगी, एजेंट गिरफ्तार:- पुलिस के अनुसार, जुबेर अली ने सुरभि व प्रवीण छलिया पर 8 लोगों को यूरोप के देश रूस में नौकरी करवाने के नाम पर कुल 21 लाख 59 हजार रूपए लेने का आरोप लगाया है। इसके बाद जब बार-बार कहा गया तो उन्होंने उन 8 लोगों को रूस भेज दिया, लेकिन 1 महीने तक उन्हें कोई ढंग का

- **सीकर के 8 युवाओं को रूस में नौकरी लगवाने के नाम पर 21 लाख 59 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने चंडीगढ़ की फर्म सुरभि व प्रवीण छलिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।**
- **पीड़ितों का आरोप है कि फर्म ने उनसे रुपए तो ले लिए, लेकिन जब वे बार-बार विदेश जाने के लिए कहने लगे तो आरोपियों ने पहले 5 लोगों को विदेश भेज दिया। उन्हें एक महीने बाद ही वापस भेज दिया**

काम दिए बिना ही वापस इंडिया भेज दिया गया। सुरभि व प्रवीण से जब इस बारे में बात की गई तो कोई ढंग का जवाब नहीं दिया और पैसे वापस मांगे तो मुकर गए।

कैसे हुई ठगी, फर्जी एग्रीमेंट का सहारा:- परिवादी जुबेर की डेढ़ -दो साल पहले प्रवीण और सुरभि से जान-पहचान हुई थी, दोनों ने बताया कि वे नौकरी के लिए विदेश भेजने का काम करते हैं। प्रवीण ने चंडीगढ़ के जिरकपुर में पीएनएस वीजा सर्विसेज नामक फर्म से संबंध बताकर यूरोप भेजने व रोजगार दिलाने के बारे में बताया। दोनों ने जुबेर को पीएनएस बीजा सर्विसेज जिरकपुर का पार्टनर बताया।

सुरभि व प्रवीण छलिया ने फर्जी लिखित एग्रीमेंट दिया। इस एग्रीमेंट का प्रयोग कर सुरभि व प्रवीण ने जुबेर व उसके परिचित सलीम अली, बरकत अली, सुरेंद्र सैन, घनश्याम सैन, राजेंद्र कुमार, नोमान शेख, सुरेंद्र मूंड और गोपाल से 21 लाख 59 हजार रुपए ले लिए। प्रवीण और सुरभि ने 21.59 लाख रूपए की राशि 3 अलग-अलग तरीकों से ली थी।

रूस में मजदूरी, वादे से मुकरे आरोपी:- आरोपियों ने चैक, कैश और यूपीआई के जरिए 21.59 लाख रूपए लिए थे। इसके बाद गत 27 अक्टूबर को सलीम अली, बरकत अली, सुरेंद्र सैन, घनश्याम सैन व राजेंद्र कुमार को वीजा देकर 10 नवंबर को रूस भेज दिया गया, जबकि 3 जने रह गए तो उन्हें बाद में भेजने की बात कही। पांचों व्यक्तियों को रूस में कोई रोजगार नहीं दिया गया और ना ही वैध व्यवस्था की गई, बल्कि जबरन मजदूरी करवाकर 1 महीना पूरा होते ही वापस भेज दिया।

रिपोर्ट के अनुसार, जब दोनों आरोपियों से रकम वापस मांगी तो सुरभि व प्रवीण छलिया टालमटोल करते हुए धमकियां देने लगे, फिर 21 लाख 59 हजार रूपए देने के लिये स्पष्ट मना कर दिया।

दोनों आरोपियों ने धोखाधड़ी करके विदेश में रोजगार दिलाने का झांसा देकर सारे रूपए हड़प लिए। एग्रीमेंट के बावजूद 5 जनों को रूस भेजने के बाद भी धोखे से 1 महीने बाद वापस भारत भेज दिया, जबकि 3 जनों को भेजा ही नहीं।

हमला करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार

अजमेर। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र के हाथी खेड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार यह घटना 10 दिसंबर को हुई थी। पुराने जमीनी विवाद को लेकर बदमाशों ने लाठी-डंडों से पीड़ित परिवार पर हमला कर दिया था। हमले में परिवार के कई सदस्यों को गंभीर चोटें आई थीं। घटना के बाद पीड़ित दिलखुश रावत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि पुरानी रंजिश और जमीन को लेकर चल रहे विवाद के चलते आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया। पुलिस ने दर्ज मामले और घटना से जुड़े वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया।

हत्या के बाद जलाया, शव के टुकड़े कर फेंके, हत्यारे को उम्रकैद

अलवर। अलवर की एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने 4 साल पुराने सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक जेल) की सजा सुनाई है। लिवारी गांव निवासी दोषी परमजीत ने अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत करने पर दोस्त दीपक यादव की हत्या की थी।

मामला 12 अप्रैल 2022 को दीपक यादव की हत्या का है। एडीजे कोर्ट संख्या-3 की न्यायाधीश जज

दोस्त की हत्या में गिरफ्तार आरोपी।

- **लड़की से बातचीत के विवाद पर की थी दोस्त की हत्या, अंतिम सांस तक जेल**

ज्योति सोनी ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाते हुए अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील अजीत यादव ने बताया- 12 अप्रैल 2022 को परिवादी सीताराम यादव ने सदर थाना अलवर में अपने साले के लडक़े दीपक यादव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दीपक पिछले करीब 10 वर्षों से लिवारी गांव में सीताराम यादव के पास रहकर पढ़ाई कर रहा था। मामले की जांच के दौरान सदर थाना पुलिस ने लिवारी गांव निवासी परमजीत को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान दोषी परमजीत ने पुलिस के सामने हत्या की पूरी वारदात कबूल कर ली। परमजीत ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड से दीपक यादव की बातचीत को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते 12 अप्रैल 2022 को उसने दीपक को अपने घर बुलाया और डंडे से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। परमजीत ने पुलिस पूछताछ में कहा था कि शव को बोरे में भरकर बाइक से पहाड़ी क्षेत्र में ले गया, जहां शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। जब शव पूरी तरह नहीं जला तो आरोपी ने शव के टुकड़े कर दिए और उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया था। जहां पहले से मरे हुए पशुओं के कंकाल पड़े थे। पुलिस मौके पर पहुंची और शव के बिखरे हुए टुकड़े एकत्र किए। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी परमजीत के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

कोल्ड स्टोरेज से लाल मिर्च पाउडर, साबुत हल्दी, कैथोडी पाउडर व अमचूर पाउडर जब्त

कोटा, (निसं)। खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉक्टर टी.शुभ मंगला तथा जिलाधीश कोटा पियूष सामरिया के निर्देशन पर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा, डॉक्टर नरेंद्र नागर के नेतृत्व में कोटा जिले में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा रानपुर स्थित एक कोल्ड स्टोरेज पर कार्रवाई करते हुए लाल मिर्च पाउडर, साबुत हल्दी, कैथोडी पाउडर एवं अमचूर पाउडर को संदेह के आधार पर 29 नमूने लेते हुए जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक नहीं बेचने हेतु पाबंद किया।

मुंगेर से प्राप्त सूचना के अनुसार ओल्ड में आगामी वैवाहिक सीजन को देखते हुए बड़े स्तर पर मसाले एवं अन्य खाद्य पदार्थों के रखे होने की जानकारी मिली थी। दल द्वारा निरीक्षण करने पर स्टोरेज में बड़ी मात्रा में लाल मिर्च पाउडर, साबुत हल्दी अमचूर पाउडर एवं के केथोड़ी पाउडर 29 लौट में रखे हुए थे।

स्टोरेज के मैनेजर से बात कर खाद्य कारोबारकर्ताओं को बुलाने हेतु फोन किए गए परंतु सभी खाद्य

कोटा खाद्य सुरक्षा टीम ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई की।

- **स्टोरेज के मैनेजर से बात कर खाद्य कारोबारकर्ताओं को बुलाने हेतु फोन किए गए परंतु सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं आने में असमर्थता जाहिर की**

कारोबारकर्ताओं आने में असमर्थता जाहिर की जिस पर स्टोरेज के मैनेजर से प्रत्येक नोट में से एक-एक नमूना लेते हुए प्रत्येक में से नमूना लेते हुए सभी नमूनों को जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर को रिपोर्ट प्राप्त होने तक माल को रोकने के निर्देश प्रदान किए। खाद्य सुरक्षा दल में खाद सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल, अरुण सक्सेना, चंद्रवीर सिंह जादोन एवं मोजीलाल कुंभकार शामिल रहे।

महिला का शव रसोई में पड़ा मिला

अजमेर। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के माखुपुरा इलाके में एक 51 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला का शव घर की रसोई में फर्श पर पड़ा मिला, जबकि घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। गले पर चोट के निशान मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका के बेटे ने इस मामले में अपने पिता पर हत्या का संदेह व्यक्त किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आदर्श नगर थाने के एएसआई सत्यनारायण के अनुसार मृतका की पहचान मोहिनी देवी पत्नी भागचंद के रूप में हुई है। पुलिस को इस घटना की सूचना जेएलएन अस्पताल से मिली थी, जहां महिला को मृत अवस्था में लाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना वाले दिन पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, बताया गया कि मृतका का पति पेशे से ड्राइवर है, लेकिन लंबे समय से काम पर नहीं जा रहा था। 31 दिसंबर को घरेलू विवाद के बाद वह घर छोड़कर चला गया था और रिश्तेदारों से यह कहता रहा कि पत्नी और बेटे ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया ।

राजस्थान हाईकोर्ट : 33 वर्षों बाद जन्म तिथि तिथि में संशोधन की याचिका खारिज

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी व संदीप शाह ने तैतीस वर्षों के बड़े अंतराल के बाद जन्मतिथि में संशोधन कराने की प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के एकल पीठ के निर्णय को यथावत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया। सनद रहे लच्छीराम नामक कर्मचारी की नियुक्ति वर्ष 1988 में उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर राजस्थान पशुपालन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध वल्लभनगर, उदयपुर में की गयी थी।

उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि 18 मई 1964 थी। वर्ष 2013 में उसे वाहन चालक के पद पर पदोन्नित प्रदान की गयी थी। यह पदोन्नित भी उसकी जन्मतिथि 18 मई 1964 के आधार पर दी गई एवं समय समय पर जारी वरिष्ठता सूची में भी उसकी जन्मतिथि 18 मई 1964 ही अंकित की गयी। वर्ष 2021 में उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र विश्वविद्यालय के समक्ष इस बाबत प्रस्तुत किया गया कि

- **राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी व संदीप शाह ने तैतीस वर्षों के बड़े अंतराल के बाद जन्मतिथि में संशोधन कराने की प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के एकल पीठ के निर्णय को यथावत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया। सनद रहे लच्छीराम नामक कर्मचारी की नियुक्ति वर्ष 1988 में उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर राजस्थान पशुपालन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध वल्लभनगर, उदयपुर में की गयी थी।**

उसकी जन्मतिथि 18 मई 1964 न होकर 18 मई 1969 है। इसके समर्थन में उसने एक डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया।

विश्वविद्यालय द्वारा उसे डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र को अवैध मानते हुए उसे 31 मई 2024 से सेवानिवृत करने का आदेश 04 नवंबर 2023 को पारित किया। लच्छीराम द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी सेवानिवृत आदेश को एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी। एकल पीठ द्वारा उसकी रिट याचिका को खारिज किया गया। एकल पीठ के आदेश को अपीलार्थी द्वारा खण्ड पीठ के समक्ष चुनौती दी गयी। विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा, नीता छंगाणी ने पैरवी करते हुए यह तर्क दिया कि प्रथमतया उसके द्वारा जन्मतिथि में संशोधन उसकी नियुक्ति के 33 वर्षों के बाद किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो देरी के आधार पर ही खारिज किया जाने योग्य है। दूसरा उसके आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आई.डी., लाईसेंस वगैरह के उसकी जन्मतिथि 18 मई 1964 ही है। साथ ही विभाग द्वारा समय-समय पर उसकी वरिष्ठता सूची जारी की गयी एवं उसे पदोन्नित प्रदान की गयी तब उसने कोई आपति जाहिर नहीं की गयी। अचनाक 33 वर्षों के बाद अपनी जन्मतिथि के संशोधन डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करवाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। उसको नियुक्ति उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल दस्तावेज व स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर ही दी गयी।

उनमें उसकी जन्मतिथि 18 मई 1964 ही है। प्रार्थी के अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा व नीता छंगाणी के तर्कों से सहमत होते हुए खण्ड पीठ ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हुए एकल पीठ के आदेश को यथावत रखा व 33 वर्षों के असाधारण देरी के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया।